न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./13/2025/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. मूलाराम पुत्र मालाराम, उम्र 52 वर्ष 2. हरचन्दराम पुत्र मालाराम, उम्र 48 वर्ष 3. मगाराम पुत्र मालाराम, उम्र 43 वर्ष 4. खरथाराम पुत्र मालाराम, उम्र 40 वर्ष 5. गेनी पत्नी मालाराम, उम्र 70 वर्ष 6. भंवराराम पुत्र वीराराम, उम्र 60 वर्ष 7. सोनाराम पुत्र वीराराम, उम्र 45 वर्ष 8. मूलाराम पुत्र वीराराम, उम्र 45 वर्ष, जाति भील, निवासी प्रेम सागर(रावतसर), तह. बाड़मेर ग्रामिण, जिला बाड़मेर।	1. कना उर्फ करनाराम पुत्र जोधाराम, उम्र 70 वर्ष. 2. जेठाराम पुत्र भंवराराम, उम्र 45 वर्ष 3. गुमनाराम पुत्र भंवराराम, उम्र 30 वर्ष 4. चैनाराम पुत्र भंवराराम, उम्र 22 वर्ष 5. भंवरी बेवा भंवराराम, उम्र 50 वर्ष 6. खेमी पत्नी डूंगराराम, उम्र 35 वर्ष 7. धुड़ी पत्नी सोनाराम, उम्र 50 वर्ष 8. गैरों पत्नी भूराराम, उम्र 45 वर्ष 9. मांगी पुत्री भूराराम, उम्र 50 वर्ष, जाति भील, निवासी प्रेम सागर (रावतसर), तह. बाड़मेर ग्रामिण, जिला बाड़मेर। 10. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (फास्ट ट्रेक)बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2024 बउनवान कना बनाम जेठाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पों. सं. 01 की ओर से।
3. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पों. सं. 02 से 05 की ओर से।
4. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—21.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा प्रेम सागर, पटवार क्षेत्र रावतसर, तहसील बाडमेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 464 रकबा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

12.0191 हेक्टेयर व मौजा रावतसर पटवार क्षेत्र रावतसर, तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 222 रकबा 9.4292 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 28.08.2024 को एकतरफा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा प्रेम सागर, पटवार क्षेत्र रावतसर, तहसील बाडमेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 464 रकबा 12.0191 हेक्टेयर व मौजा रावतसर पटवार क्षेत्र रावतसर, तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 222 रकबा 9.4292 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 28.08.2024 को एकतरफा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए जल्दबाजी में मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब दावा लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 90 दिवस की अवधि में निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना तामील के पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जालोर

कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (फास्ट ट्रेक)बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2024 बउनवान कना बनाम जेठाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय 90 दिवस में पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

21/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर